FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

(1)

अदालत सहायक कलेक्टर बमुकाम भीनमाल

प्रार्थी — बनाम — **अप्रार्थीगण**

रेवाराम पुत्र शंकरा वगैरा (1) जाति भील निवासी पूनासा

जगमालराम पुत्र ईरा वगैरा (9) जाति विश्नोई निवासीगण करडा

किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

नंबर–66 /2012

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुई
11.12.12	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री बालूराम चौधरी व वगताराम चौधरी तथा अर्जुनसिंह द्वारा एक दावा बाबत दुरूस्त करने राजस्व रेकर्ड, खातेदारी हक की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण जरिए नोटिस तलब हों। पत्रावली आईदा दिनांक 03.01.13 को पेश हों। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर, भीनमाल	
3/1/13	प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण के नोटिस तामील अदम तामील प्राप्त नहीं हुए अतः इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 7.2.13 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर भीनमाल	
7.2.13	वकलाय फरीकेन हाजिर। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान में विराजते है। अतः पत्रावली आइंदा कार्यवाही हेतु दिनांक 12-3-13 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
12-3-13	आज वकलाय द्वारा न्यायिक कार्यों का बहिष्कार के फलस्वरूप मिसल इन्तजार होकर नोटिस तामील पेश करें ता. 9/5/13 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर भीनमाल	
9-5-13	पत्रावली आज पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महो. प्रशासन गांवों के संग अभियान में पधारे हुए है। अतः मिसल इन्तजार होकर पत्रावली वास्ते दि 14.5.2013 को पेश है। (हस्ताक्षर)	

Scanned by CamScanner

25/5/18 पक्षकारान दरीकेन हाजिर। आज श्रीमान SDM साहब राजस्व लोक अदालत कैम्प में पधारे है। अत: मिसल तारीख 5/6/18 को पेश हो।

5.6.18 पत्रावली आज लोक अदालत कैम्प पुनासा पेश हुई। पक्षकार हाजिर। प्रकरण का अवलोकन किया। प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया कि वादग्रस्त आराजी मौजा पुनासा के पुराने स.न. 442 रकबा 8 बिघा 16 बिस्वा नवीन स.न. 669 रकबा 1.32 हे. पर प्रार्थी प्रथम से ही मौके से काबिज है। वर्तमान मे स.न. 669 रकबा 1.32 हे. प्रार्थी व अप्रार्थी की सामलाती आराजी है जिससे इंच इंच पर समान हक हिस्सा होता है ऐसी स्थिति मे प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी प्रतीत नही होता है। प्रकरण का अवलोकन किया गया मामले मे तत्सम्बन्धित न्यायालय श्रीमान मे खातेदारी हक का वाद विचाराधीन है जो तनकीयात साक्ष्य दस्तावेज से विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावेगा। अत: ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का अस्थाई प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 5.6.18 को कोर्ट कैम्प पुनासा सुनाया गया।

5/6/18